

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 491/2025

अनवान : -

1. दक्ष रोज पुत्र सुरेन्द्र कुमार बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी ए-203 करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम


- 1 सुरेन्द्र कुमार बिश्नोई पुत्र विक्रमजीत जाति बिश्नोई निवासी करणीसर लालगढ़ बीकानेर त० व जिला बीकानेर।
2 शिवकुमारी पत्नी विक्रमजीत जाति बिश्नोई निवासी गजनेर रोड़ सादुल स्कूल स्पोर्ट्स विद्यालय के पास बीकानेर त० व जिला बीकानेर।
3 चंचल बिश्नोई पुत्री विक्रमजीत जाति बिश्नोई निवासी गजनेर रोड़ सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के पास बीकानेर त० व जिला बीकानेर।
4 शीतल पुत्री विक्रमजीत जाति बिश्नोई निवासी गजनेर रोड़ सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के पास बीकानेर त० व जिला बीकानेर।
5 काजोल पुत्री विक्रमजीत जाति बिश्नोई निवासी गजनेर रोड़ सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के पास बीकानेर त० व जिला बीकानेर।
6 प्रॉची रोड़ पुत्री सुरेन्द्र कुमार बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गजनेर रोड़ सादुल स्पोर्ट्स विद्यालय के पास बीकानेर त० व जिला बीकानेर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 16 एन. जी. सी. खाता सं० 55/58 में कुल 4.807 है०, चकनं० 18 एनजीसी के खाता सं० 89/88 में कुल 1.771 है० व चकनं० 15 एनजीसी के खाता सं० 51/48 में कुल 1.265 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जाकर उपरोक्त वाद भूमि में से विक्रमजीत का नाम कलमजन किया जावें। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 23/12/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं R.A.S.
पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़